

## विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
<b>अध्याय 1: राज्य सरकार के वित्त</b>		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	1.1	1
2016-17 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	2
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुमान एवं वास्तविक	1.1.3	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	10
भारत सरकार से सहायता-अनुदान	1.3.2	11
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	1.3.3	12
त्यक्त राजस्व	1.3.4	12
श्रम सेस	1.3.5	13
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	1.4	13
ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	15
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	1.4.3	15
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	15
संसाधनों के अनुप्रयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	1.6.1	16
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	1.6.2	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
वृहत कार्यक्रम	1.6.4	20
वित्तीय सहायता	1.6.5	20
व्यय की गुणवत्ता	1.7	23
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	23
व्यय के उपयोग की दक्षता	1.7.2	24
चयनित समाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	24
सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	25
सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम	1.8.1	25
अपूर्ण परियोजनाएँ	1.8.2	25
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	26
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	1.8.4	27
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	29

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	29
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि तथा संयोजन	1.9.1	29
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	30
हास निधि	1.9.3	31
राज्य आपदा मोचन निधि (रा.आ.मो.नि.)	1.9.4	32
प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व	1.9.5	32
ऋण प्रबंधन	1.10	33
ऋण की रूपरेखा	1.10.1	33
ऋण वहनीयता	1.10.2	33
राजकोषीय असंतुलन	1.11	35
घाटे की प्रवृत्तियाँ	1.11.1	35
<b>अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण</b>		
परिचय	2.1	37
बजट प्रबंधन की प्रक्रिया	2.2	37
विनियोग लेखे के सारांश	2.3	37
वित्तीय दायित्व तथा बजटीय प्रबंधन	2.4	39
आवंटित प्राथमिकताओं के सम्मुख विनियोग	2.4.1	39
प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण नहीं करना	2.4.2	41
सतत बचत	2.4.3	41
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.4.4	44
विगत वर्षों में प्रावधानों से आधिक्य व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	2.4.5	45
परिहार्य/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान	2.4.6	46
निधियों का अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.4.7	47
निधियों का वृहद अभ्यर्पण	2.4.8	47
व्यय का वेग	2.5	47
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	2.6	48
अनुदान संख्या 41 - पथ निर्माण विभाग की बजटीय प्रक्रिया	2.7	48
परिचय	2.7.1	48
संगठनात्मक ढाँचा	2.7.2	49
बजट अनुमानों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	2.7.3	50
परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	2.7.4	50
बजटीय प्रावधान से अधिक व्यय	2.7.5	51
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	2.7.6	51
निधियों के उपयोग नहीं किये जाने के कारण शत प्रतिशत अभ्यर्पण	2.7.7	52

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
व्यय का वेग	2.7.8	53
विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	2.7.9	53
<b>अध्याय 3: वित्तीय प्रतिवेदन</b>		
अनुदानों के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	3.1	55
स्वायत्त निकायों, प्राधिकरणों तथा अनुदानग्राही संस्थानों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा	3.2	57
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 तथा 15 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.1	57
सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा	3.2.2	57
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब	3.2.3	58
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लाभांश घोषित नहीं किये गये	3.2.4	59
संक्षिप्त आकस्मिक (सं.आ.) विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.3	60
पथ निर्माण विभाग द्वारा सं.आ. विपत्रों पर आहरित निधियों की लेखापरीक्षा	3.4	61
पूँजीगत कार्यों हेतु सं.आ. विपत्रों पर निधियों का अनधिकृत आहरण	3.4.1	61
वित्तीय वर्ष के अंत में सं.आ. विपत्रों के विरुद्ध आहरण	3.4.2	62
सं.आ. विपत्रों पर आहरित निधियों को बैंक खातों में रखा जाना	3.4.3	62
2016-17 के विस्तृत आकस्मिक (वि.आ) विपत्रों की लेखापरीक्षा	3.5	63
दुर्विनियोग, हानियाँ इत्यादि के मामलों का प्रतिवेदन	3.6	64
राजस्व एवं पूँजीगत के बीच वर्गीकरण	3.7	65
निधियाँ आहरित कर व्यक्तिगत बही (व्य.ब.) खातों में रखा जाना	3.8	65
लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत प्रविष्टि	3.9	67
रोकड़ शेष में अंतर	3.10	68
लेखाओं की शुद्धता को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण अवयव	3.11	68
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का संविभाजन	3.12	69
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.13	69
राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.14	69

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड की रूपरेखा	73
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	74
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	74
परिशिष्ट 1.2	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली	75
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	76
परिशिष्ट 1.4 भाग-क	वर्ष 2016-17 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	79
परिशिष्ट 1.4 भाग-ख	31 मार्च 2017 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	82
परिशिष्ट 1.5 भाग-क	74 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार स्थानीय नगर निकायों के कार्यों का विवरण	84
परिशिष्ट 1.5 भाग-ख	73 <sup>वें</sup> संवैधानिक संशोधन अधिनियम (अनुसूची XII) के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के कार्यों का विवरण	85
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से ज्यादा और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या अधिक की भी बचत हुई	86
परिशिष्ट 2.2	उप-शीर्षवार विवरण जहाँ वर्ष 2016-17 के दौरान पर्याप्त बचत (₹ 20 करोड़ व उससे ज्यादा) हुई	88
परिशिष्ट 2.3	₹ एक करोड़ व अधिक के बचत की विवरणी जो अभ्यर्पित नहीं किये गये	93
परिशिष्ट 2.4	₹ 10 करोड़ से अधिक की निधि के 31 मार्च 2017 को अभ्यर्पण के मामले	94
परिशिष्ट 2.5	पिछले वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय को विनियमित करने की आवश्यकता	96
परिशिष्ट 2.6	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	97
परिशिष्ट 2.7	निधियों का अधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	99
परिशिष्ट 2.8	वर्ष के दौरान किये गये बड़े अभ्यर्पणों की समीक्षा के परिणाम	100
परिशिष्ट 2.9	वर्ष के अंत में व्यय का वेग	107
परिशिष्ट 2.10	नियंत्रि अधिकारियों की सूची जहाँ 2016-17 के दौरान व्यय असमाशोधित रहा	109
परिशिष्ट 2.11	परिहार्य अनुपूरक प्रावधान	111

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 2.12	विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन	112
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2017 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	113
परिशिष्ट 3.2	सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) अधिनियम की धारा 14 व 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	114
परिशिष्ट 3.3	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों में अभिश्रवों का नहीं पाया जाना	117
परिशिष्ट 3.4	विस्तृत आकस्मिक विपत्रों का विलंब से प्रस्तुतीकरण	119
परिशिष्ट 3.5	राजस्व खण्ड के अंतर्गत बड़े कार्य	121
परिशिष्ट 3.6	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' (10 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	121
परिशिष्ट 3.7	लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' (40 प्रतिशत व अधिक) का परिचालन	122
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	123

